

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(5)2022-23 / विकास / प्रमुखसं / 9219

दिनांक 27/12/2022

कार्यालय आदेश

मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर के पत्र क्रमांक एफ5( )विकास / मुखसंजो / 2022 / 9210 दिनांक 26.12.2022 द्वारा प्राप्त प्रस्तावानुसार इस कार्यालय के बजट आवंटन समसंख्यक आदेश क्रमांक 4739 दिनांक 04.08.2022 पारेशिष्ट-ख के अनुसार जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक परियोजना के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य हेतु लेखा मद 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01-वानिकी, 101- वन संरक्षण विकास तथा संपोषण, (11)- जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक, 63-वृक्षारोपण में उप वन संरक्षक, पाली को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रत्याहरित कर उप वन संरक्षक, इ.गा.न.प. स्टेज- II, जैसलमेर को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

| मुख्य वन संरक्षक        | उप वन संरक्षक                               | जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य हेतु पूर्व में आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य |                                                 | जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य हेतु संशोधित आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य |                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                         |                                             | भौतिक लक्ष्य (हे०में)                                                                                        | वित्तीय लक्ष्य (रु.लाखों में)<br>@40467 per Ha. | भौतिक लक्ष्य (हे०में)                                                                                      | वित्तीय लक्ष्य (रु.लाखों में)<br>@40467 per Ha. |
| मुख्य वन संरक्षक जोधपुर | उप वन संरक्षक, पाली                         | 50                                                                                                           | 20.23                                           | 0                                                                                                          | 0                                               |
| मुख्य वन संरक्षक जोधपुर | उप वन संरक्षक, इ.गा.न.प. स्टेज- II, जैसलमेर | 1200                                                                                                         | 485.60                                          | 1250                                                                                                       | 505.83                                          |
|                         | योग:-                                       | 1250                                                                                                         | 505.83                                          | 1250                                                                                                       | 505.83                                          |

अन्य शर्तें पूर्व की भाँति यथावत रहेंगी। आवंटित राशि का वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

(एम.के.गर्ग),

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(5)2022-23 / विकास / प्रमुखसं / 9220-26

दिनांक 27.12.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर ।
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर ।
3. उप वन संरक्षक, पाली / इ.गा.न.प. स्टेज- II, जैसलमेर ।
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा) / संकलित शाखा (सांख्यिकी अनुभाग) / कम्प्यूटर शाखा वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),  
राजस्थान, जयपुर